KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN REGIONAL OFFICE VARANASI

F. 43089/KVS (RO)/VNS/2026-27/ **Dated 18.11.2026**

Sub-: QUOTATION DOCUMENT FOR HIRING OF TAXI / CAR SERVICES IN KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, REGIONAL OFFICE, VARANASI ON CALL BASIS

QUOTATION DOCUMENT

1. Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Varanasi is inviting quotations from reputed, experienced and financially sound Taxi service providers to provide rental taxi/Car for Uttar Pradesh.

2. The contract will be initially for a period of one year which may be extended further for a period of another one year on review of performance depending upon the requirement and administrative convenience of the Regional Office. The quantum of requirement of vehicles is occasionally depending upon the requirement of the Regional Office Varanasi.

3. The Competent Authority, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Varanasi reserves the Right to cancel the tender at any time or amend/withdraw any of the terms and conditions contained in the Tender Document without assigning any reason, thereof.

Kendriya Vidyalaya Sangathan
Regional Office Varanasi

CHAPTER-1

SCHEDULE OF TENDER PROCESS

1) Sealed quotations are invited on two bid system viz., Technical Bid & Financial Bid for providing rental Taxi/Car services to the Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Varanasi by reputed taxi service providers for hiring of commercial vehicles (Petrol/Diesel) for official use of the KVS, RO, Varanasi, initially for a period of (01) one year. The Contract can be extended further for two more years, one year at a time subject to mutual consent/agreement on the same terms and conditions and based on satisfactory performance.

2) The Tender document can be downloaded from Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Varanasi website – "https://rovaranasi.kvs.gov.in". The tender shall be accepted under two bid system. The interested Service Providers are advised to submit Technical & Financial bids in two separate sealed envelopes super scribing as :- (1) "TECHNICAL BID FOR PROVIDING RENTAL TAXI/CAR SERVICES" (2) "FINANCIAL BID FOR PROVIDING RENTAL TAXI/CAR SERVICES". Both sealed envelopes should be kept in a third bigger sealed envelope super scribing as- "TENDER FOR PROVIDING RENTAL TAXI/CAR SERVICES" and be sent through REGD POST/ SPEED POST only to Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Varanasi (Uttar Pradesh)- 211004 latest by 07.12.2026 latest by 17.00 hrs. Tenders sent by any other mode will not be accepted. Tender will be opened in the office of the undersigned at 11.00 hrs. on 08.12.2026.

3) The firms should deposit an Earnest Money of Rs. 5000/- (Rupees Five thousand only) along with the quotation through DD in favour of "DC,KVS, RO, Varanasi" payable at Varanasi. Earnest Money shall be refunded in the event of rejection of quotation/ unsuccessful bidders. The earnest money will be forfeited in the event of failure to provide the services.

Note: - If any of above documents are not found proper or not received within the prescribed time limit, then the bidder will be treated as unresponsive.

CHAPTER-2

SCOPE OF WORK AND GENERAL INSTRUCTIONS FOR QUOTATIONERS–

1. Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office Varanasi is situated at BLW, Kanchanpur Varanasi, UP-221004 requires the services of reputed well established and financially sound taxi service providers (hereinafter referred to as "Service Providers") to provide rental Petrol/Diesel/ CNG commercial taxi/car services on call basis for Uttar Pradesh.
2. The contract shall be valid for a period of one year from the date of letter awarding the contract , which can be extended for period exceeding one or more year as may be decided by the competent authority, after review of performance.
3. The Interested service providers have to submit the tenders through speed post/ Registered post as per required packet/cover content.
4. The Firm should deposit an Earnest Money of Rs.5000/-(Rupees Five Thousand Only) along with the quotation through DD in favor of DC, KVS, RO, Varanasi payable at Varanasi. EMD will be refunded in the event of rejection of quotation/ unsuccessful bidders. Bids shall not be considered in case the Earnest Money is not submitted. The Earnest money will be forfeited in the event of failures to provide the services.
5. Conditional bids shall not be considered and will be rejected summarily.
6. No Firm will be allowed to withdraw its bids after receiving the bid at KVS RO VARANASI. If any firm intends to withdraw after receiving the bids, its EMD will be forfeited.
7. The rates of contract awarded would be subject to review on revision of Fuel prices (Diesel/Petrol) after the award of the contract. If there is any revision in the price of the Fuel prices (Diesel/Petrol) the rate of contract will stand revised by one fourth (1/4) of the per cent revision in Fuel prices (Diesel/Petrol) price. The revision will take effect from the first day of the following month of the month in which revision takes place. For illustration, if the Diesel price is increased/decreased by 10 % on 2nd June, the rates of contract will stand increased/decreased by 2.5% with effect from 1st July.
8. **The attested copy of the certificate of registration of firm should also be enclosed with the quotation along with –the name of authorized person to interact with Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office, BLW, Kanchanapur, Varanasi-221004.**
9. Each page of the quotation document as well as annexures enclosed should be signed by the firm or by authorized signatories with seal of the firm.
10. The firm has to give a self-certified certificate that it has not been blacklisted by any Central Government/Department/PSUs/Banks etc. If it is subsequently found out that the selected firm has given false information or facts or has suppressed facts or manipulated the documents, etc., the earnest money will be forfeited and the bid/contract will be rejected/ cancelled.
11. If after award of the contract, the successful bidder (L1) fails to provide required number of vehicle/taxi, the contract is liable to be cancelled along-with forfeiture of performance security and other consequential actions such as blacklisting as deemed appropriate.
12. **The lowest (L1) bidder will be decided on the basis of weighted sum.**

CHAPTER-3

ELIGIBILITY CRITERIA

1. *The firm must have average annual turnover of at least Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs Only) per annum during the last 3 years, ending 31st March of the previous financial year. CA Certificate and Balance Sheet must be enclosed with the Technical Bid.

2. *The firm must have at least 1 years of experience in the Tour and Travels Business in providing vehicle/taxi in the offices of Govt. Department/PSUs / Semi Govt./ Autonomous Bodies etc.

3. The Firm should have at least 03 vehicles of the type of commercial vehicles required i.e. Maruti Suzuki Ciaz, Desire, Amaze, Honda City, Hyundai Verna or its equivalent/ Innova, XUV-500, Scorpio, Tata Hexa or its equivalent registered in the name of the firm or in the name of the owner of the firm in 2023 or thereafter, failing which offer will be rejected. The copies of the RCs of the vehicles registered are to be enclosed with the Technical Bid.

4. Experience certificates, award letters, fitness certificate and performance certificate should be enclosed with the Technical Bid.

5. The Firm should also have (i) GST No. and (ii) PAN No. Copies of GST No. and PAN No. are to be enclosed with the Technical Bid.

6. An undertaking from the bidder firm on its letter head stating that the firm has not been blacklisted by any Central Government Department/Ministry/PSU/Bank, or State Government etc must be attached with the bid documents.

* Note: Exemption will be provided to MSME/ and start up as per rule.

CHAPTER -4
TERMS AND CONDITIONS

1. The contract shall be valid for a period for one year from the date of awarding of the contract, which can be extended for such period as maybe decided by the competent authority, but not more than one year after review of performance.
2. The contract can be short/ closed on account of unsatisfactory services upon performance review by the Competent Authority of Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Varanasi. The unsatisfactory service shall mean and include non- compliance and non-fulfillment of any of the contractual obligations by the Service Provider and or poor performance and violation of any of the terms and conditions of the quotation/contract and failure on its part to correct the discrepancies/shortcomings brought to its notice in writing by the competent authority of Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Varanasi.
3. By virtue of this agreement, no relationship will be created between the driver and Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Varanasi. It will be the sole responsibility of the Service Provider to pay salary and other perks to its drivers meeting all statutory obligations and no complaints by any of its drivers in this regard will be entertained by the Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Varanasi.
4. The agreement can be terminated earlier by giving one month's written notice on Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Varanasi side and three months 'notice on the side of Service Provider without assigning any reason and the decision of the competent authority shall be the binding on the Service Provider. No claims for compensation of loss/revenues due to such decision shall be entertained.
5. All the vehicles to be provided by the successful firm should be 2023 onward model and should be mechanically sound and have decent interiors with other necessary accessories as defined in the contract. Technical Bids must be accompanied with copies of RCs of commercial Vehicles of required class.
6. The Firm will be solely responsible of all Rules and regulations notified by Govt. of India from time to time for plying of commercial vehicles.
7. The quoted rates will be all inclusive and no other charges will be paid extra except the parking charges/toll road charges /Night charge paid for official duty on production of original parking/toll coupons.
8. The services shall be provided on quantum of requirement of vehicles is occasionallydepending upon the requirement of the Regional Office Varanasi
9. There would be no dead mileage. The mileage for the purpose of "vehicle run" and hours of duty" shall be reckoned from the place of reporting to the point of vehicle released as the case maybe.
10. No mileage will be allowed to drivers for lunch/breakfast or for filling of CNG/ petrol/diesel/etc.
11. The average running of vehicles and duty hours may at times exceed the prescribedlimit of hours and kilometers in a day /month.
12. The Service Provider will ensure that the fuel tank of vehicle provided is fully filled upbefore sending the vehicle for duty.
13. The Service Provider will ensure that all drivers have live mobile phone connection sothat they can be contacted whenever required.
14. The driver provided by the Service Provider should be well mannered, courteous andpolite to officers with whom he is attached along with vehicle. He should be well acquainted with the state locations, punctual, have valid driving license and should have neat and clean uniform with name badge. The

driver should not smoke or drink while on duty and should not play cards, etc. during idle time. (A detailed map book of the state should be kept in car).

15. During the periodical maintenance of the vehicle, Service Provider shall provide standby vehicle of same make & year.
16. Vehicle shall always carry first aid box and mandatory spares, viz fuses, spark plugs, belts, fire extinguisher, torch, umbrella, etc.
17. The Service Provider shall be responsible for complying with obligations under income tax, ESI, EPF, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, Wages Act, Labour Laws etc. and damages to third party arising due to accident etc.
18. The Service Provider shall be responsible for all litigation arising out of the non- payment of road tax, service tax, traffic violations, etc. and other dues to `the appropriate authority and also the payment of compensation to drivers and any other involved' parties in the event of death/injuries/damages arising out of accidents and/or due to various other causes, etc.
19. It will be the responsibility of the Service provider to comply with all statutory obligations on his part arising out of this contract.
20. Bills for supply of vehicle for a month along with certificate of the number of hours and the mileage (Kms. Run during the month/day by the official), will be submitted by 5th of the following months to the Deputy Commissioner, 'Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Varanasi or any other officer authorized for this purpose by the competent authority, for payment.
21. The service provider shall be responsible for keeping the vehicle insured in compliance of the provisions of Motor Vehicle Act.
22. The service provider shall also be responsible for compliance of the legal provision in respect of the vehicle and shall indemnify the Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Varanasi against any damages/claims arising out of the contract.
23. The vehicles will have to be fitted /provided with the following mandatory additional accessories/utilities.
    1. Clean seat covers
    2. Good quality radio music system
    3. Reading lamp
    4. Tissue paper box
    5. Car perfume
    6. Mobile charger
    7. Seat Belts (Front & Rear)
    8. Umbrella during Monsoon.
    9. Torch
    10. GPS enabled
24. Service, Provider should have sufficient numbers of drivers having experience of driving in the state/ India.
25. A declaration on the printed letter-head of the firm, stating inter-alia that the drivers provided are of good character, duly verified by Police from security angle and have a valid driving license and are well conversant with the roads in the state to the Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Varanasi.
26. A daily record indicating time and mileage run for each vehicle shall be maintained by the driver and submitted to the concerned officer in the

Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Varanasi for providing certification, if the vehicle hired.

27. The Service Provider shall ensure that the odometer of car supplied is properly sealedso that no tampering is done with a view to inflate distance travelled.
28. The authorized officer of this Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Varanasi may conduct surprise checking of odometer of the vehicle supplied from any workshop and cost thereof will be borne by the agency.
29. In case of discrepancy, English version will supersede.

30. PENALTY CLAUSE:

Penalty will be levied, for the violation of terms & conditions of the contract in thefollowing manner: (Amount in Rs.)

SN	Violations	Penal amount per month per vehicle			Amt to be deducted	Remarks
		Instances				
		First	2ND	3RD	Per day per vehicle	
1	Non-functioning of AC in a vehicle	----	----	---	500/-	---
2	Failure to provide alternative arrangement within one hour of vehicle breakdown	500/-	1000/-	2000/-	---	Rental charges for the day will also not be paid
3	Tempering of meter of vehicle	1000/-	2000/-	3000/-	---	Competent authority has the discretion to terminate the contract along with forfeiture of performance security/blacklisting of firm
4	Irregularities such as overwriting, forged entries etc. in the log book (to be maintained in prescribed format)	1000/-	2000/-	3000/-	---	Do
5	Changes of driver without prior intimation of Officers to whom vehicle	500/-	---	---	---	On each occasion
6	Delay(more than 30 minutes) in reporting for duty by driver/vehicle	500/-	1000/-	2000/-	---	Rental charge for the day will also not be paid
7	Non-compliance of any other terms & condition	500/-	1000/-	2000/-	---	For each violation per vehicle.

DECLARATION

1. I,_____Son/Daughter/Wife of Shri.__ Proprietor/Director/Authorized Signatory of the Agency mentioned above, is competent to sign this declaration and execute his document;
2. I have carefully read and understood all the terms and conditions of the quotation and undertake to abide by them;
3. The information/documents furnished along with the above application are true and authentic to the best of my knowledge and belief. I/we, am/are well aware of the fact that furnishing of any false information/fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.
4. I hereby undertake to work at L1 rates as [per the terms and conditions given in the tender documents.

Signature of the authorized person
Full Name:___

Date :_____

Place :_____

ANNEXURE – 1

PROFORMA FOR TECHNICAL BIDS

S .No.	Description	Information/Documents required
1	Name of the Firm/ Company/Agency	
2	Complete Address & Telephone Number	
3	Location of the Garage with telephone No. and address	
4*	EMD of Rs. 5000/- (mention DD No. , Date & amount)	
5*	Annual turnover of the firm for last 03 years (with proof) in the form of Balance Sheet	
6*	The firm must have at least 01 years of experience in the Tour and travels Business in providing vehicle/taxi in the Government/Semi Govt. Sections/ Autonomous Bodies. Copies of experience certificates and award letters are to be Enclosed.	
7	The firm must have at least 3 vehicle of the respective type (Petrol/Diesel) i.e. Maruti Suzuki Ciaz , Dezire, Amaze, Honda City, Hyundai Verna or its equivalent/ Innova, XUV-500, Scorpio , Tata Hexa or its equivalent registered not prior to 2023. Copies of RCs are to be enclosed for which the firm wants to apply.	
8	Name & Address of the Departments / Ministries and other organizations where, at present, taxis are engaged on regular/monthly basis. Enclosed the self-certified duly stamped copies of contract letters	
9	Copy of GST No. and PAN No. (with proof)Enclosed copies of GST Registration Certificate and PAN Card	
10	Name, Address & Telephone Number of the Proprietor	
11	Self-Certificate declaring that the firm has not been black listed by any Central Ministry/Department/State Govt. Department, PSUs or Banks etc. Enclosed an undertaking from the bidder firm on its letter head	

Note: Exemption will be provided to MSME/ and start up as per rule.

(Signature of the Bidder, with Official Seal)

ANNEXURE - 2

SCHEDULE: UP State

(1) Rates (including all taxes and levies except. parking and toll charges) of Vehicle on daily basis.

(2) As per government notification no. 12/2017- central tax (Rate) dated 28/06/2017 GST is exempted.

SN	Type of Vehicle	LOCAL						Outstation Trip	
		Rate for 4 hours/ 40 Kms	Rate on for 8 hours/80 Kms	Rate for 12 hours/150 Kms	Rate for extra KM	Rate for extra KM	Varanasi Airport Drop & Pickup	Per kms	Night halt Charges per day
1	Staff Vehicle (AC) (MARUTI SWIFT /DEZIRE/Toyota Etios/Hyundai XCent/ Ciaz / Amaze/ Honda City etc.)								
2	Mid-SIZE SUV (AC) (Scorpio /CRETA/ BREEZA Etc.)								
3	MUV (AC) (INNOVA/ ERTIGA/CRYSTA)								

(3) If vehicles are hired on daily basis the above applicable extra rate will be after 4 hours/ 40 Kms**, 8** hrs/80 Km/, 12 hrs/150 kms.

(4) When vehicle go on for out station minimum 200 Kms distance.

H. Terms of payment: -

1. No payment shall be made in advance nor would any loan from any bank or financial institution be recommended on the basis of the order of award of work.

2. The Service Provider shall submit the bill in the first week of following month in respect of previous month (in case of monthly payments)

3. All payments shall be made by ECS/Crossed Cheque/ RTGS only.

4. Office of the Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office Kanchanpur BLW Varanasi shall be at liberty to withhold any of the payments in full or in part subject to recovery of penalties, if any.

5. The term "payment" mentioned in this para includes all types of payment due to the service provider arising on account of this contract excluding Earnest Money and Security Deposit governed by the separate clauses of the contract.

6. Wherever applicable all payments will be made as per schedule of payments as per contract.

ANNEXURE -3

TENDER ACCEPTANCE LETTER

Date:.....

To,

The Deputy Commissioner
Kendriya Vidyalaya Sangathan
Regional Office, Varanasi-221004

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender for providing rental taxi services to the Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Varanasi on call basis.

Dear Madam/Sir,

1. I/ We have downloaded/ I obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Varanasi website: – "https://rovaranasi.kvs.gov.in" as per your Advertisement, given in the above mentioned website(s).

2. I/We hereby certify that I/we have read the entire terms and conditions of the tender documents form (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc.,) which form part of the contract agreement and I/we shall abide hereby by the terms/conditions /clauses contained therein.

3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/organization too have all been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.

4. I/We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) in its totality / entirety.

5. In case any provisions of this tender are found violated, then your department/ organization shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)

वाहन निविदा

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

पत्रांक: 43089/के.वि.सं. (क्षे.का.)/वाराणसी/2026-27/ **दिनांक: 18.11.2026**

विषय: केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में ऑन-कॉल (आवश्यकतानुसार) आधार पर व्यावसायिक टैक्सी/कार सेवाएँ अनुबंधित करने हेतु कोटेशन दस्तावेज़।

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए किराए पर टैक्सी/कार उपलब्ध कराने हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ टैक्सी सेवा प्रदाताओं से कोटेशन आमंत्रित कर रहा है।
2. यह अनुबंध प्रारम्भिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जिसे क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कार्य निष्पादन की समीक्षा के बाद अगले एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वाहनों की आवश्यकता पूर्णतः सामयिक (occasional) होगी, जो क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की तात्कालिक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी।
3. सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय निविदा (टेंडर) को रद्द करने या टेंडर दस्तावेज़ में निहित किसी भी नियम और शर्त में संशोधन/वापस लेने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

अध्याय-1
निविदा प्रक्रिया की अनुसूची (Schedule of Tender Process)

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के आधिकारिक उपयोग के लिए वाणिज्यिक वाहनों (पेट्रोल/डीजल) को किराए पर लेने हेतु प्रतिष्ठित टैक्सी सेवा प्रदाताओं से दो-बोली प्रणाली (Two-Bid System) अर्थात् **तकनीकी बोली (Technical Bid)** एवं **वित्तीय बोली (Financial Bid)** के अंतर्गत मोहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। यह अनुबंध प्रारंभिक रूप से **01 (एक) वर्ष** की अवधि के लिए प्रभावी होगा। सेवा प्रदाता के संतोषजनक कार्य-निष्पादन और आपसी सहमति के आधार पर, समान नियमों एवं शर्तों पर इस अनुबंध की अवधि को एक बार में एक वर्ष करते हुए, आगामी **दो और वर्षों** के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. निविदा दस्तावेज़ केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की आधिकारिक वेबसाइट **"https://**rovaranasi.kvs.gov.in" से डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा केवल दो-बोली प्रणाली के अंतर्गत ही स्वीकार की जाएगी। इच्छुक सेवा प्रदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे तकनीकी और वित्तीय बोलियों को दो अलग-अलग मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत करें, जिनके ऊपर क्रमशः **(1) "किराए पर टैक्सी/कार सेवाएँ प्रदान करने हेतु तकनीकी बोली"** तथा **(2) "किराए पर टैक्सी/कार सेवाएँ प्रदान करने हेतु वित्तीय बोली"** स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य है। इन दोनों मोहरबंद लिफाफों को एक तीसरे बड़े मोहरबंद लिफाफे के अंदर रखा जाना चाहिए, जिसके ऊपर **"किराए पर टैक्सी/कार सेवाएँ प्रदान करने हेतु निविदा"** लिखा हो। इसे केवल **पंजीकृत डाक (Regd. Post) / स्पीड पोस्ट (Speed Post)** के माध्यम से ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)- 211004 के पते पर **दिनांक 07.12.2026 को अपराह्न 17:00 बजे (शाम 5:00 बजे) तक या उससे पहले** भेजना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। प्राप्त निविदाएँ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांक 08.12.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे** खोली जाएंगी।
3. संबंधित फर्मों को कोटेशन के साथ **₹5,000/- (रुपए पाँच हजार मात्र)** की बयाना राशि (Earnest Money Deposit), डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से जमा करनी होगी, जो **"DC, KVS, RO, Varanasi"** के पक्ष में तथा वाराणसी में देय (Payable) होनी चाहिए। कोटेशन अस्वीकृत होने अथवा बोली में असफल होने की स्थिति में बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। अनुबंध होने के बाद यदि सफल बोलीदाता सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

विशेष टिप्पणी (Note): यदि उपरोक्त दस्तावेज़ों में से कोई भी दस्तावेज़ सही नहीं पाया जाता है या निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित बोलीदाता को **'अनुत्तरदायी' (Unresponsive)** माना जाएगा|

अध्याय-2

कार्य-क्षेत्र एवं कोटेशनदाताओं के लिए सामान्य निर्देश
(Scope of Work and General Instructions for Quotationers)

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, जो बी.एल.डब्ल्यू. (BLW), कंचनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221004 में स्थित है, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लिए किराए पर पेट्रोल/डीजल/सीएनजी वाणिज्यिक (कमर्शियल) टैक्सी/कार सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित, सुस्थापित एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ टैक्सी सेवा प्रदाताओं (जिन्हें आगे सेवा" प्रदाता(है गया कहा " की सेवाओं की आवश्यकता है।
2. यह अनुबंध पत्र जारी होने की तिथि से **एक वर्ष** की अवधि के लिए वैध होगा। सेवा प्रदाता के कार्य-निष्पादन (परफॉर्मेंस) की समीक्षा के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार इस अनुबंध की अवधि को आगामी **एक और वर्ष** के लिए विस्तारित किया जा सकता है।
3. इच्छुक सेवा प्रदाताओं को आवश्यक पैकेट/लिफाफे की सामग्री के अनुसार अपनी निविदा केवल **स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक (Registered Post)** के माध्यम से ही प्रस्तुत करनी होगी।
4. संबंधित फर्म को कोटेशन के साथ **₹5,000/- (रुपए पाँच हजार मात्र)** की बयाना राशि (Earnest Money Deposit - EMD), डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से संलग्न करनी होगी, जो **"DC, KVS, RO, Varanasi"** के पक्ष में तथा वाराणसी में देय (Payable) होनी चाहिए। कोटेशन अस्वीकृत होने अथवा बोली में असफल रहने वाले बोलीदाताओं की बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि जमा न करने की स्थिति में बोलियों (Bids) पर विचार नहीं किया जाएगा। सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहने की स्थिति में बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. **सशर्त बोलियों (Conditional Bids)** पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त (ख़ारिज) कर दिया जाएगा।
6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में निविदा प्राप्त होने के पश्चात किसी भी फर्म को अपनी बोली वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई फर्म निविदा प्राप्त होने के बाद उसे वापस लेना चाहती है, तो उसकी बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी।
7. आवंटित अनुबंध की दरें, अनुबंध लागू होने के बाद ईंधन की कीमतों (डीजल/पेट्रोल) में होने वाले संशोधन (बदलाव) के अधीन होंगी। यदि ईंधन की कीमतों (डीजल/पेट्रोल) में कोई संशोधन होता है, तो अनुबंध की दरों में ईंधन की कीमतों में हुए प्रतिशत संशोधन के **एक-चौथाई (1/4)** हिस्से के बराबर संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन उस महीने के ठीक अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावी होगा जिसमें कीमतों में बदलाव हुआ है। **उदाहरण के लिए:** यदि 2 जून को डीजल की कीमत में 10% की वृद्धि या कमी होती है, तो अनुबंध की दरों में 1 जुलाई से 2.5% की वृद्धि या कमी की जाएगी।
8. इसके साथ फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) की सत्यापित प्रति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, बी.एल.डब्ल्यू., कंचनपुर, वाराणसी-221004 के साथ पत्राचार/समन्वय करने हेतु अधिकृत व्यक्ति (Authorized Person) का नाम भी कोटेशन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
9. कोटेशन दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ के साथ-साथ संलग्न किए गए सभी अनुलग्नकों (Annexures) पर फर्म या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा फर्म की मोहर (Seal) सहित हस्ताक्षर किए जाने अनिवार्य हैं।
10. फर्म को एक स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र (Self-Certified Certificate) देना होगा कि उसे किसी भी केंद्र सरकार/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs)/बैंकों आदि द्वारा काली सूची (Blacklist) में नहीं डाला गया है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि चयनित फर्म ने गलत जानकारी या तथ्य दिए हैं, तथ्यों को छुपाया है या दस्तावेजों में हेरफेर की है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और बोली/अनुबंध को निरस्त/रद्द कर दिया जाएगा।
11. अनुबंध आवंटन के बाद, यदि सफल बोलीदाता (L1) आवश्यक संख्या में वाहन/टैक्सी प्रदान करने में विफल रहता है, तो अनुबंध रद्द किया जा सकता है, साथ ही निष्पादन सुरक्षा राशि (Performance Security) जब्त कर ली जाएगी और काली सूची (Blacklisting) में डालने सहित अन्य उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
12. न्यूनतम **(L1) बोलीदाता** का निर्धारण भारित योग (Weighted Sum) के आधार पर किया जाएगा।

अध्याय-3

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

1. संबंधित फर्म का गत 3 वर्षों के दौरान, जो पूर्व वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हुए हों, औसत वार्षिक टर्नओवर (Annual Turnover) कम से कम **₹5,00,000/- (रुपए पाँच लाख मात्र)** प्रति वर्ष होना अनिवार्य है। इस संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा बैलेंस शीट (Balance Sheet) तकनीकी बोली (Technical Bid) के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
2. फर्म के पास सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) / अर्ध-सरकारी निकायों / स्वायत्त निकायों (Autonomous Bodies) आदि के कार्यालयों में वाहन/टैक्सी उपलब्ध कराने का टूर एंड ट्रैवल्स व्यवसाय (Tour and Travels Business) में कम से कम **01 (एक) वर्ष** का अनुभव होना अनिवार्य है।
3. फर्म के पास मांग के अनुरूप आवश्यक वाणिज्यिक वाहनों के प्रकार जैसे— मारुति सुजुकी सियाज (Ciaz), डिजायर (Dzire), अमेज (Amaze), होंडा सिटी (Honda City), हुंडई वरना (Verna) या इसके समकक्ष, अथवा इनोवा (Innova), एक्सयूवी-500 (XUV-500), स्कॉर्पियो (Scorpio), टाटा हेक्सा (Hexa) या इसके समकक्ष कम से कम **03 (तीन) वाहन** होने चाहिए। ये वाहन वर्ष **2023 या उसके बाद** फर्म के नाम पर अथवा फर्म के स्वामी (Owner) के नाम पर पंजीकृत (Registered) होने अनिवार्य हैं; ऐसा न होने की स्थिति में प्रस्ताव (Offer) को निरस्त कर दिया जाएगा। पंजीकृत वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
4. अनुभव प्रमाण पत्र (Experience Certificates), कार्य आवंटन पत्र (Award Letters), फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) और कार्य-निष्पादन प्रमाण पत्र (Performance Certificate) तकनीकी बोली के साथ संलग्न किए जाने चाहिए।
5. फर्म के पास **(i) जीएसटी नंबर (GST No.)** और **(ii) पैन नंबर (PAN No.)** होना अनिवार्य है। जीएसटी और पैन नंबर की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
6. बोलीदाता फर्म के लेटर हेड (Letter Head) पर एक **वचन-पत्र (Undertaking)** निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न होना अनिवार्य है कि फर्म को किसी भी केंद्र सरकार के विभाग/मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU)/बैंक अथवा राज्य सरकार आदि द्वारा काली सूची (Blacklist) में नहीं डाला गया है।

*** विशेष टिप्पणी (Note):** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSME) और स्टार्टअप (Start-ups) को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

अध्याय-4

नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions)

1. यह अनुबंध आवंटन की तिथि से **01 (एक) वर्ष** की अवधि के लिए वैध होगा। सेवा प्रदाता के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार इस अनुबंध की अवधि को विस्तारित किया जा सकता है, परंतु यह विस्तार एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा ।
2. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य-निष्पादन की समीक्षा के आधार पर, असंतोषजनक सेवाओं के कारण इस अनुबंध को समय से पूर्व बंद/समाप्त किया जा सकता है। 'असंतोषजनक सेवा' से तात्पर्य सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी संविदात्मक दायित्व का अनुपालन न करना या उसे पूरा न करना, खराब प्रदर्शन करना, कोटेशन/अनुबंध के किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन करना, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में संज्ञान में लाई गई विसंगतियों/कमियों को दूर करने में विफल रहना है।
3. इस अनुबंध के आधार पर, वाहन चालक (ड्राइवर) और केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के बीच किसी भी प्रकार का (नियोक्ता-कर्मचारी) संबंध स्थापित नहीं होगा। अपने चालकों को सभी वैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान करना पूरी तरह से सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में चालकों द्वारा की गई किसी भी शिकायत पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
4. इस अनुबंध को केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की ओर से **एक महीने** का लिखित नोटिस देकर और सेवा प्रदाता की ओर से **तीन महीने** का लिखित नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए समय से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय सेवा प्रदाता के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रकार के निर्णय के कारण होने वाले नुकसान/राजस्व की क्षतिपूर्ति के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. सफल फर्म द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी वाहन **वर्ष 2023 या उसके बाद** के मॉडल होने चाहिए। वाहन यांत्रिक रूप से पूरी तरह ठीक (Mechanically sound) होने चाहिए और अनुबंध में परिभाषित अन्य आवश्यक एक्सेसरीज के साथ उनका इंटीरियर (आंतरिक हिस्सा) साफ-सुथरा होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ आवश्यक श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) की प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।
6. वाणिज्यिक वाहनों के संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सभी नियमों और विनियमों के पालन के लिए सेवा प्रदाता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
7. उद्धृत (Quoted) दरें सर्व-समावेशी (All-inclusive) होंगी। मूल पार्किंग/टोल कूपन प्रस्तुत करने पर आधिकारिक ड्यूटी के दौरान भुगतान किए गए पार्किंग शुल्क, टोल रोड शुल्क, रात्रिकालीन शुल्क (Night Charge) के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा ।
8. वाहनों की आवश्यकता पूर्णतः सामयिक (Occasional) होगी, जो क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी।
9. कोई भी **'डेड माइलेज' (झूठा माइलेज)** स्वीकार्य नहीं होगा। "वाहन के चलने" और "ड्यूटी के घंटों" की गणना वाहन के रिपोर्टिंग स्थान पर पहुंचने के समय से लेकर वाहन के मुक्त (रिलीज़) होने के बिंदु तक की जाएगी।
10. चालकों को दोपहर के भोजन/नाश्ते या सीएनजी/पेट्रोल/डीजल आदि भरवाने के लिए जाने वाले किलोमीटर (माइलेज) की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. वाहनों का औसत संचालन (Running) और ड्यूटी के घंटे कभी-कभी प्रति दिन या प्रति माह निर्धारित सीमा से अधिक हो सकते हैं।
12. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी पर भेजने से पहले वाहन का ईंधन टैंक (Fuel Tank) पूरी तरह से भरा हुआ हो।
13. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी चालकों के पास सक्रिय (Live) मोबाइल फोन कनेक्शन हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे तुरंत संपर्क किया जा सके।
14. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया गया चालक शिष्ट, विनम्र और अधिकारियों के प्रति सम्मानजनक होना चाहिए। वह राज्य के मार्गों/स्थानों से अच्छी तरह परिचित, समय का पाबंद, वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक और नेम बैज (नाम पट्टिका) के साथ साफ-सुथरी वर्दी में होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान चालक धूम्रपान या

मदिरापान नहीं करेगा और खाली समय में ताश आदि नहीं खेलेगा। (कार में राज्य का एक विस्तृत मानचित्र/मैप बुक होना अनिवार्य है)।

15. वाहन के समय-समय पर होने वाले नियमित रखरखाव/सर्विसिंग के दौरान, सेवा प्रदाता उसी मेक (मॉडल) और वर्ष का वैकल्पिक/स्टैंडबाय वाहन उपलब्ध कराएगा।
16. वाहन में हमेशा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) और अनिवार्य स्पेयर पार्ट्स जैसे— फ्यूज, स्पार्क प्लग, बेल्ट, अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher), टॉर्च, छाता आदि उपलब्ध होने चाहिए।
17. सेवा प्रदाता आयकर (Income Tax), ईएसआई (ESI), ईपीएफ (EPF), अनुबंध श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, श्रम कानूनों आदि के तहत दायित्वों का पालन करने और दुर्घटना आदि के कारण किसी तीसरे पक्ष (Third Party) को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
18. रोड टैक्स, सर्विस टैक्स (GST) का भुगतान न करने, यातायात नियमों के उल्लंघन आदि और उचित प्राधिकारी के अन्य देयकों के कारण उत्पन्न होने वाले सभी मुकदमों (Litigation) के लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु/चोट/नुकसान की स्थिति में चालकों और किसी भी अन्य संबंधित पक्ष को मुआवजे के भुगतान के लिए भी सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।
19. इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अपने हिस्से के सभी वैधानिक दायित्वों (Statutory Obligations) का पालन करना सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी।
20. किसी महीने के वाहनों के उपयोग का बिल, अधिकारी द्वारा प्रमाणित ड्यूटी के घंटों और माइलेज (किलोमीटर) के प्रमाण पत्र के साथ, भुगतान हेतु अगले महीने की **5 तारीख तक** उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
21. मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के प्रावधानों के अनुपालन में वाहन का बीमा (Insurance) प्रभावी रखने के लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा।
22. सेवा प्रदाता वाहन के संबंध में कानूनी प्रावधानों के अनुपालन के लिए भी जिम्मेदार होगा और इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान/दावे के खिलाफ केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को क्षतिपूरित (Indemnify) रखेगा।
23. वाहनों में निम्नलिखित अनिवार्य अतिरिक्त एक्सेसरीज/सुविधाएं फिट/उपलब्ध होनी चाहिए:
    1. साफ सीट कवर
    2. अच्छी गुणवत्ता का रेडियो संगीत सिस्टम (Music System)
    3. रीडिंग लैंप
    4. टिश्यू पेपर बॉक्स
    5. कार परफ्यूम
    6. मोबाइल चार्जर
    7. सीट बेल्ट (आगे और पीछे)
    8. मानसून के दौरान छाता
    9. टॉर्च
    10. जीपीएस (GPS) सुविधा युक्त
24. सेवा प्रदाता के पास राज्य/भारत में वाहन चलाने का अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में चालक होने चाहिए।
25. फर्म के मुद्रित लेटर-हेड (Letter Head) पर उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को संबोधित एक घोषणा-पत्र देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि प्रदान किए गए चालक अच्छे चरित्र के हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस द्वारा विधिवत सत्यापित हैं, उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और वे राज्य की सड़कों से अच्छी तरह परिचित हैं।
26. यदि वाहन किराए पर लिया जाता है, तो चालक द्वारा प्रत्येक वाहन के समय और किलोमीटर (माइलेज) को दर्शाने वाला एक दैनिक रिकॉर्ड (लॉग बुक) बनाए रखा जाएगा और प्रमाणीकरण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
27. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि आपूर्ति की गई कार का ओडोमीटर (किलोमीटर मीटर) ठीक से सील हो ताकि तय की गई दूरी को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें कोई छेड़छाड़ न की जा सके।

28. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी का अधिकृत अधिकारी किसी भी कार्यशाला (वर्कशॉप) से आपूर्ति किए गए वाहन के ओडोमीटर की औचक जांच (Surprise Check) करा सकता है और इसका खर्च संबंधित एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।
29. किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |

30. शास्ति (जुर्माना) खंड (PENALTY CLAUSE):

अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में निम्नलिखित तालिका के अनुसार शास्ति (जुर्माना) आरोपित की जाएगी: (राशि रुपये में)

SN	Violations	Penal amount per month per vehicle			Amt to be deducted	Remarks
		Instances				
		First	2ND	3RD	Per day per vehicle	
1	Non-functioning of AC in a vehicle	----	----	---	500/-	--
2	Failure to provide alternative arrangement within one hour of vehicle breakdown	500/-	1000/-	2000/-	---	Rental charges for the day will also not be paid
3	Tempering of meter of vehicle	1000/-	2000/-	3000/-	---	Competent authority has the discretion to terminate the contract along with forfeiture of performance security/blacklisting of firm
4	Irregularities such as overwriting, forged entries etc. in the log book (to be maintained in prescribed format)	1000/-	2000/-	3000/-	---	Do
5	Changes of driver without prior intimation of Officers to whom vehicle	500/-	---	---	---	On each occasion
6	Delay(more than 30 minutes) in reporting for duty by driver/vehicle	500/-	1000/-	2000/-	---	Rental charge for the day will also not be paid
7	Non-compliance of any other terms & condition	500/-	1000/-	2000/-	---	For each violation per vehicle.

घोषणा-पत्र (DECLARATION)

1. मैं, _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ उपरोक्त एजेंसी का प्रोप्राइटर (स्वामी)/निदेशक (Director)/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ और इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इस दस्तावेज़ को निष्पादित करने के लिए पूर्णतः सक्षम हूँ;
2. मैंने इस कोटेशन (दर-आमंत्रण) की सभी नियमों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है तथा मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ;
3. इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएं/दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं प्रामाणिक हैं। मैं/हम इस तथ्य से भली-भांति अवगत हूँ/हैं कि किसी भी स्तर पर असत्य सूचना या जाली/फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर मेरी निविदा निरस्त कर दी जाएगी, साथ ही संबंधित कानून के तहत दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है;
4. मैं एतद्वारा निविदा दस्तावेजों में दी गई नियमों एवं शर्तों के अनुसार **न्यूनतम (L1) दरों** पर कार्य करने का वचन देता हूँ।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:
पूरा नाम: _____

दिनांक: _____
स्थान: _____

अनुलग्नक – 1 (ANNEXURE – 1)

तकनीकी बोली हेतु निर्धारित प्रपत्र (PROFORMA FOR TECHNICAL BIDS)

क्र.सं.	विवरण (Description)	आवश्यक सूचना / दस्तावेज़ (Information/Documents required)
1	फर्म / कंपनी / एजेंसी का नाम	
2	पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या (टेलीफोन नंबर)	
3	गैराज का स्थान (पता) एवं दूरभाष संख्या	
4	₹5,000/- की बयाना राशि (EMD) का विवरण (डिमांड ड्राफ्ट/DD संख्या, दिनांक एवं राशि का उल्लेख करें)	
5*	विगत 03 वर्षों का फर्म का वार्षिक टर्नओवर (बैलेंस शीट के रूप में साक्ष्य/प्रमाण संलग्न करें)	
6*	फर्म के पास सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों में वाहन/टैक्सी उपलब्ध कराने का टूर एंड ट्रैवल्स व्यवसाय में कम से कम 01 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। (अनुभव प्रमाण पत्रों और कार्य आवंटन पत्रों की प्रतियां संलग्न की जानी हैं)।	
7	फर्म के पास संबंधित प्रकार (पेट्रोल/डीजल) के कम से कम 3 वाहन होने अनिवार्य हैं, जैसे— मारुति सुजुकी सियाज, डिजायर, अमेज, होंडा सिटी, हुंडई वरना या इसके समकक्ष / इनोवा, एक्सयूवी-500, स्कॉर्पियो, टाटा हेक्सा या इसके समकक्ष, जिनका पंजीकरण वर्ष 2023 से पूर्व का न हो। जिन वाहनों के लिए फर्म आवेदन करना चाहती है, उनकी पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) की प्रतियां संलग्न की जानी हैं।	
8	उन विभागों / मंत्रालयों और अन्य संगठनों के नाम व पते जहाँ वर्तमान में टैक्सियाँ नियमित/मासिक आधार पर अनुबंधित हैं। (अनुबंध पत्रों की स्व-सत्यापित एवं मोहरयुक्त प्रतियां संलग्न करें)।	
9	जीएसटी नंबर (GST No.) और पैन नंबर (PAN No.) की प्रति (साक्ष्य सहित)। जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और पैन कार्ड की प्रतियां संलग्न करें।	
10	प्रोप्राइटर (स्वामी) का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या	
11	किसी भी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) या बैंकों आदि द्वारा काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में न डाले जाने का स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र। (बोलीदाता फर्म के लेटर हेड पर इस आशय का एक वचन-पत्र संलग्न करें)।	

विशेष टिप्पणी (Note): सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSME) और स्टार्टअप (Start-ups) को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मोहर सहित)

अनुलग्नक – 2 (ANNEXURE – 2)

दर अनुसूची: उत्तर प्रदेश राज्य (SCHEDULE: UP State)

(1) दैनिक आधार पर वाहनों की दरें (पार्किंग और टोल शुल्क को छोड़कर अन्य सभी करों और लेवी/शुल्कों सहित)।

(2) सरकारी अधिसूचना संख्या 12/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28/06/2017 के अनुसार जीएसटी (GST) मुक्त है।

दर तालिका (Rate Chart)

SN	Type of Vehicle	LOCAL						Outstation Trip	
		Rate for 4 hours/ 40 Kms	Rate on for 8 hours/80 Kms	Rate for 12 hours/150 Kms	Rate for extra KM	Rate for extra KM	Varanasi Airport Drop & Pickup	Per kms	Night halt Charges per day
1	Staff Vehicle (AC) (MARUTI SWIFT /DEZIRE/Toyota Etios/Hyundai XCent/ Ciaz / Amaze/ Honda City etc.)								
2	Mid-SIZE SUV (AC) (Scorpio /CRETA/ BREEZA Etc.)								
3	MUV (AC) (INNOVA/ ERTIGA/CRYSTA)								

(3) यदि वाहन दैनिक आधार पर किराए पर लिए जाते हैं, तो ऊपर उल्लेखित अतिरिक्त दरें क्रमशः 4 घंटे/40 किमी, 8 घंटे/80 किमी, तथा 12 घंटे/150 किमी की सीमा समाप्त होने के पश्चात लागू होंगी।

(4) बाहरी स्टेशन (आउटस्टेशन) यात्रा के मामले में न्यूनतम 200 किलोमीटर की दूरी (प्रति दिन) मान्य होगी।

H. भुगतान की शर्तें (Terms of Payment):

1. कोई भी भुगतान अग्रिम (Advance) रूप में नहीं किया जाएगा, और न ही कार्य आवंटन आदेश के आधार पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से किसी भी प्रकार के ऋण (Loan) की सिफारिश की जाएगी।
2. मासिक भुगतान के मामले में, सेवा प्रदाता पिछले महीने के संदर्भ में अगले महीने के प्रथम सप्ताह में बिल प्रस्तुत करेगा।
3. सभी भुगतान केवल ईसीएस (ECS) / क्रॉस्ड चेक (Crossed Cheque) / आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से ही किए जाएंगे।
4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, कंचनपुर, बी.एल.डब्ल्यू., वाराणसी के पास शास्ति (जुर्माना/दण्ड), यदि कोई हो, की वसूली के अधीन किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने (Withhold) का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
5. इस पैराग्राफ में उल्लिखित "भुगतान" शब्द के अंतर्गत अनुबंध के अलग-अलग खंडों द्वारा नियंत्रित बयाना राशि (EMD) और सुरक्षा जमा (Security Deposit) को छोड़कर, इस अनुबंध के कारण सेवा प्रदाता को देय सभी प्रकार के भुगतान शामिल हैं।
6. जहाँ भी लागू हो, सभी भुगतान अनुबंध के अनुसार भुगतान अनुसूची (Schedule of Payments) के आधार पर किए जाएंगे।

अनुलग्नक – 3 (ANNEXURE – 3)
निविदा स्वीकृति पत्र (TENDER ACCEPTANCE LETTER)

दिनांक: .....

सेवा में,
उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी-221004

विषय: केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को किराए पर टैक्सी सेवाएँ प्रदान करने संबंधी निविदा के नियमों व शर्तों की स्वीकृति के संबंध में।

महोदया / महोदय,

1. मैंने/हमने आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार उपरोक्त 'निविदा/कार्य' के लिए निविदा दस्तावेज़ केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की आधिकारिक वेबसाइट **"https://rovaranasi.kvs.gov.in"** से डाउनलोड/प्राप्त किया है।
2. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों के पूर्ण नियमों एवं शर्तों (जिसमें सभी अनुलग्नक, अनुसूचियाँ आदि शामिल हैं, जो अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम इसमें निहित सभी शर्तों/नियमों/खंडों का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय, आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शुद्धि-पत्रों (Corrigendums) को भी पूरी तरह ध्यान में रखा गया है।
4. मैं/हम एतद्वारा उपरोक्त निविदा दस्तावेज़ की निविदा शर्तों को उनकी समग्रता/पूर्णता में बिना किसी शर्त के (Unconditionally) स्वीकार करता हूँ/करते हैं।
5. यदि इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है, तो आपका विभाग/संगठन किसी अन्य अधिकार या कानूनी उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त संपूर्ण बयाना राशि (EMD) को पूर्ण रूप से जब्त करने सहित इस निविदा/बोली को निरस्त करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

भवदीय,
(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मोहर सहित)